न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 16/2016 (उदयपुर आर्डर)

1. श्रीमती मांगीबाई पुत्री स्वर्गीय लालूजी गुर्जर, निवासी सालेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती देऊ पुत्री स्वर्गीय लालूजी गुर्जर, निवासी सालेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती मोवनी पुत्री स्वर्गीय लालूजी गुर्जर, निवासी सालेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. लक्ष्मीलाल पिता स्वर्गीय पेमाजी गुर्जर, निवासी सालेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. भैरूलाल पिता स्वर्गीय भूराजी गुर्जर, निवासी सालेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. वरदीचन्द पिता स्वर्गीय भूराजी गुर्जर, निवासी सालेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. बाबरू पिता स्वर्गीय पेमाजी गुर्जर, निवासी सालेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. शंकरलाल पिता स्वर्गीय भैरूलालजी गुर्जर, निवासी सालेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
7. राजस्थान राज्य जरिये उप पंजीयक भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर दि0
09.06.2016 प्रकरण संख्या 06/2016

———/———

उपस्थित(वक्त बहस) 1– श्री भूरालाल डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 09–03–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.03.23 12:37:04 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सालेडा में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित क खाता संख्या 358 की आराजी नंबर 1590 से 1594, 1596 से 1598, 1764 कुल किता 9 रकबा 18 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में भैरूलाल, वरदीचन्द पिता भूरा 1/3, पेमा पिता धूला 1/3 व लालू पिता धूला 1/3 हिस्सा अंकित व नामान्तरकरण संख्या 1406 विरासत से पूरे खाते में लालू पिता धूला 1/3 के बजाय मांगी, देउ, मोहनी पिता लालू गुर्जर 1/3 हिस्सा बराबर दर्ज करने की स्वीकृति हुई।

इसी प्रकार मौजा वजा का खेडा में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित ख खाता संख्या 30 की आराजी नंबर 35, 41, 42, 43, 57 कुल किता 5 रकबा 25 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में भैरूलाल, वरदीचन्द पिता भूरा 1/3, लालू पिता धूला 2/3 हिस्सा अंकित व नामान्तरकरण संख्या 115 विरासत से पूरे खाते में लालू पिता धूला 1/3 के बजाय मांगी, देउ, मोहनी पिता लालू गुर्जर 1/3 हिस्सा बराबर दर्ज करने की स्वीकृति हुई। प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 से 7 एक ही खानदान के होकर सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार है, जिससे उक्त प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 वर्णित परिशिष्ट क व ख में देवा पिता धूला का 1/4 हिस्सा था जो देवा की मृत्यु हो जाने से उसके पत्नी उदी में निहित हुई एवं उदी बाई देवा की विरासत से एक मात्र स्वामी व आधिपत्यधारी हुई एवं उदी बाई की सेवा चाकरी प्रार्थी द्वारा किये जाने से उदी बाई ने दिनांक 14–12–2009 को अपनी चल–अचल सम्पत्ति की वसीयत प्रार्थी के पक्ष में कर दी, जिससे वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा, विपक्षी भैरूलाल, वरदीचन्द पिता भूरा का 1/4 हिस्सा, पेमा पिता धूला के बजाय प्रार्थी एवं विपक्षी लक्ष्मीलाल का 1/4 हिस्सा एवं विपक्षी मांगी, देउ, मोवनी, शंकरलाल का 1/4 हिस्सा होकर अधिपत्यधारी हैं। उदी बाई की सम्पत्ति हड़पने की नियत से विपक्षी भैरूलाल, वरदीचन्द एवं स्वर्गीय पेमा व स्वर्गीय लालू ने एक वसीयतनामा दिनांक 15–11–2009 को तैयार करवा भूमि अपने नाम अंकित करवा ली, जबकि प्रार्थी के पक्ष में उदी बाई द्वारा दिनांक 14–12–2009 को निष्पादित वसीयत अंतिम वसीयत है, जिसके आधार पर वादी एक मात्र मालिक स्वामी व आधिपत्यधारी है। अतः मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थी के पक्ष में इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 वर्णित परिशिष्ट क व ख में वर्णित आराजियात किसी को विपक्षीगण रहन, बैह, बक्षीस आदि तरीके से हस्तान्तरित नहीं करें तथा प्रार्थी के हक हिस्से में दखलन्दाजी पैदा नहीं करें एवं मौके व राजस्व रेकार्ड की वर्तमान स्थिति बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.03.23 12:37:04 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 09–06–2016 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 08–07–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। औपचारिक पक्षकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6, 7 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण की कोई तामिल नहीं करवायी गयी है एवं न ही कोई जानकारी दी गयी है तथा प्रार्थी व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 की मिली भगत के आधार पर प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपीलान्टगण को बिना सूचना दिये एवं बिना सुने एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया गया है, जो त्रुटि पूर्ण है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में अपने प्रार्थना पत्र में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 को स्वर्गीय लालू का गोद पुत्र बताया गया है तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में उदी बाई द्वारा वसीयत किये जाने का उल्लेख गया गया है, जबकि अपीलान्टगण के माता एवं पिता स्वर्गीय लालू जी द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 को कभी भी गोद नहीं लिया गया है, न ही रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 अपीलान्टगण का गोद भाई है। उदी बाई ने कभी भी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में वसीयत नहीं की। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण को बिना सुने निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक से प्रकरण में सरकार का हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हालांकि अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है, किन्तु दोनों पक्षों को मूलवाद के निस्तारण तक राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प[illegible]या गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:37:04 IST
Reason: SelfAttested

होता है, क्योंकि विवादित आराजियात पक्षकारान की सहखातेदारी की आराजियात हैं इसलिए उक्त आराजियात में किस पक्षकार का कितना व कौन–कौन सी आराजियात में हक हिस्सा बनता है तथा वसीयत सही है अथवा फर्जी एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 गोद गया अथवा नहीं, इसका निस्तारण तो मूलवाद में साक्ष्य आने के बाद ही किया जा सकता। ऐसी स्थिति में पक्षकारों के मध्य और अधिक विवाद को रोकने के लिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जो निर्णय पारित किया गया है वह विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09–06–2016 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 09–03–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:37:04 IST
Reason: SelfAttested